

प्रेस नोट थाना गीडा जनपद गोरखपुर दिनांक 12.03.2026

घरेलू गैस सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग कर उच्च दामों पर बिक्री करने के आरोप में 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् जिलाधिकारी गोरखपुर महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा पेट्रोलियम एवं गैस की अवैध बिक्री व ब्लैक मार्केटिंग एवं उच्च दामों पर बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक अश्वनी पाण्डेय थाना गीडा के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0110/2026 धारा 318(4), 316(2), 61(2) भा0न्या0सं0 व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पंजीकृत से सम्बंधित अभियुक्त 1. पवन कुमार वर्मा पुत्र जमुना प्रसाद निवासी वार्ड नं0 18 बुद्धनगर थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर, 2. अली मोहम्मद पुत्र पीर मोहम्मद निवासी गोपालनगर थाना रेवती जिला बलिया, 3. सुभम जायसवाल पुत्र संतोष जायसवाल निवासी पीपीगंज थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा पूर्ति निरीक्षक द्वारा तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रूप से ब्लैक मार्केटिंग कर उन्हें निर्धारित मूल्य से अधिक दामों पर बेचा रहा था, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. पवन कुमार वर्मा पुत्र जमुना प्रसाद निवासी वार्ड नं0 18 बुद्धनगर थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
2. टूक ड्राइवर अली मोहम्मद पुत्र पीर मोहम्मद निवासी गोपालनगर थाना रेवती जिला बलिया
3. सुभम जायसवाल पुत्र संतोष जायसवाल निवासी पीपीगंज थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 0110/2026 धारा 318(4), 316(2), 61(2) भा0न्या0सं0 व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 थाना गीडा, जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अश्वनी पाण्डेय थाना गीडा जनपद गोरखपुर
2. हे0का0 सुमन्त यादव थाना गीडा जनपद गोरखपुर
3. का0 पिन्टू सिंह थाना गीडा जनपद गोरखपुर